

सं०. एएसएफडी/58(4)MFRA/2015-16/ 1338
संघ प्रदेश दमण एवं दीव प्रशासन,
सहायक मत्स्य अधीक्षक कार्यालय,
मत्स्य विभाग, दीव
दिनांक -22/07/2015

सार्वजनिक सूचना

दीव जिला के सभी सक्रिय फिशिंग बोट, फाईबर नाव के मालिको को सूचित किया जाता है की गोवा, दमण एवं दीव मरीन फिशिंग रेगुलेशन अधिनियम 1982, नियम 3 एवं 4 के तहत सभी फिशिंग बोट, फाईबर बोट (IBM & OBM) को मत्स्योद्योग विभाग, दीव से वर्ष 2015-16 के लिए फिशिंग करने हेतु फिशिंग लाइसेंस प्राप्त करना अति-आवश्यक है ।


उपरोक्त अधिनियम एवं नियम के तहत दिनांक 16/8/2015 से शुरू हो रही फिशिंग सिजन हेतु मत्स्योद्योग विभाग, दीव द्वारा ओन-लाईन फिशिंग लाइसेंस जारी किया जाना है । इसलिए सभी फिशिंग बोट मालिको संलग्न निर्धारित फॉर्म में अपना आवेदनपत्र भरकर दिनांक 03/8/2015 से नीचे दिये गए कागजात के साथ मत्स्योद्योग विभाग, दीव में प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जाता है ।

ओन-लाईन फिशिंग लाइसेंस (New) जारी करने हेतु कागजात :-

1. फिशिंग बोट रजिस्ट्रेशन कोपी (VRC)
2. राशनकार्ड कोपी
3. पिछले साल का असल फिशिंग लाइसेंस
4. दो पासपोर्ट साइज फोटो वगैरे

निर्धारित फॉर्म की प्रति विस्तृत जानकारी और प्रसार एवं प्रचार के लिए इसके साथ संलग्न है । कृपया यह जानकारी से सभी बोट मालिक/मछुआरो को अवगत कराए ।

उपरोक्त सूचना का सख्ती से पालन किया जाए, अन्यथा फिशिंग के दौरान तटवर्ती सुरक्षा एंजेन्सी एवं अन्य सरकारी एंजेन्सी द्वारा जांच के दौरान लाइसेंस नही पाने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी ।


(सुकर आंजनी)

सहायक मत्स्योद्योग अधीक्षक,
दीव.

सेवा में,

1. सरपंच, विलेज पंचायत, वनाकबारा, साउदवाडी, बुचरवाडा, जोलावाडी } सूचनार्थ एवं
2. अध्यक्ष, दीव जिल्ले कि सभी मत्स्य सहकारी मंडली }
3. अध्यक्ष, दीव जिला मछुआरा संघ, वनाकबारा } अधिकतम प्रचार-प्रसार
4. अध्यक्ष, मछुआरा संघ, वनूंकबारा/ घोघला/ दीव. }
5. अध्यक्ष, मछुआरा समुदाय, वनाकबारा/ घोघला / दीव. } हेतु प्रेषित है ।

प्रतिलिपि प्रेषित -

1. माननीय समाहर्ता , समाहर्तालय, दीव. }
2. पुलिस अधीक्षक, पुलिस विभाग, दीव } जानकारी हेतु ।
3. मत्स्योद्योग अधीक्षक, दमण. }
4. बंदरगाह अधिकारी, दीव }
5. अधीक्षक, सीमा शूल्क विभाग, दीव }